"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर/17/2002."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 324] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 19 दिसम्बर 2002—अग्रहायण 28, शक 1924

परिवहन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 19 दिसम्बर 2002

अधिसूचना

क्रमांक 5-45/दो (आठ-परि.) 02.—मोटरयान अधिनियम, 1988 (क्र. 59 सन् 1988) की धारा 2 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 68 के प्रयोजन हेतु सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ को एक क्षेत्र घोषित करती है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. विज, विशेष सचिव.

रायपुर, दिनांक 19 दिसम्बर 2002

क्रमांक 5-45/दो (आठ-परि.) 02.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना समसंख्यक दिनांक 19-12-2002 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. विज, विशेष सचिव.

Raipur, the 19th December 2002

NOTIFICATION

No. 5-45/दो (आठ-परि.) 02.—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 2 of the Motor Vehical Act, 1988 (No. 59 of 1988), the State Government, hereby, declares the whole Chhattisgarh as one area for the purposes of Section 68 of the said Act.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
R. K. Vij, Special Secretary.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2002.